



2026:AHC.9098

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19717 वर्ष 2025

उमेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विनीत कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कुमार सिंह और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. श्री आर.एस. उमराव, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि उनके पास आवश्यक निर्देश उपलब्ध हैं और वे मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई प्रति शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, और यह रिट याचिका अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही तय की जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने सिपाही (नागरिक पुलिस), सीधी भर्ती-2023 के पद के लिए आवेदन किया था। 30.08.2024 को आयोजित होने वाली परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक प्रवेश पत्र जारी किया गया था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसका चयन हो गया था और उसने 23.04.2025 को एक शपथपत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने 19.05.2022 की एक प्राथमिकी (आपराधिक वाद संख्या 129/2022) का उल्लेख किया था; यह प्राथमिकी भादं सं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 420, 120-ख और उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1998 की धारा 10 के तहत दर्ज की गई थी। हालाँकि, जब मामले को चरित्र सत्यापन के लिए भेजा गया, तो उक्त मामले के लंबित होने के संबंध में एक प्रतिकूल आख्या प्रस्तुत की गई, और उस आख्या के आधार पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर ने 30.09.2025 को रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी निरस्त कर दी।

5. इसी पर प्रश्न उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है; और इसके अलावा भी अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 एससीसी 471, मामले में दिए गए निर्णय में निर्धारित मापदंडों पर विचार नहीं किया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि यह धोखाधड़ी, तथ्यों को छिपाने, अथवा किसी आपराधिक मामले का खुलासा न करने का मामला नहीं है।

7. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, क्योंकि प्रथिकी दर्ज की गई थी, और यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालाँकि, उनका कहना है कि जिन आदेशों को चुनौती दी गई है, उनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गई थी। इसलिए, उनका निवेदन है कि इन आदेशों को निरस्त कर दिया जाए और मामले को वापस संबंधित प्राधिकारी के पास भेज दिया जाए, ताकि वे एक नया आदेश पारित कर सकें।

8. मैंने बार की ओर से प्रस्तुत किये गए तर्कों को सुना है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

9. ज़ाहिर है, रिट याचिकाकर्ता सिपाही पद का एक उम्मीदवार था। उसका चयन हो गया था, लेकिन उसके खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मामले के संबंध में एक प्रतिकूल आख्या प्रस्तुत की गई। रिट याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसे इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, क्योंकि संबंधित आदेश रिट याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में पारित किए गए थे; और यह धोखाधड़ी, तथ्यों को छिपाने या गलतबयानी का मामला नहीं है। तदनुसार, इस रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जा रहा है:-

(क) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा दिनांक 30.09.2025 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है।



(ख) मामला एक नया आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया है।

(ग) रिट याचिकाकर्ता को 30.01.2026 तक कारण बताओ सूचना जारी की जाएगी।

(घ) रिट याचिकाकर्ता 20.02.2026 तक अपना जवाब प्रस्तुत करेगा।

(ङ) आदेश 31.03.2026 तक पारित किए जाएंगे।

10. चूँकि यह आदेश रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और विद्वान शासकीय अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है, अतः यह माना जाता है कि वे इस आदेश से अवगत हैं।

11. रिट याचिकाकर्ता 20.01.2026 तक वर्तमान याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ-साथ आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा। यद्यपि वर्तमान कार्यवाही में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर द्वारा दिनांक 30.09.2025 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है, तथापि, इसका यह अर्थ नहीं होगा कि रिट याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान की जाएगी, क्योंकि नियुक्ति, भविष्य में पारित होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी।

जनवरी 14, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)